राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2801/2019

स्वाति शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री सुशील कुमार गुप्ता, कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी, लिजिंग टैक्स–2, संभागीय कर भवन, झालाना, जयपुर।
4. ईश्वर कंवर, कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी, हैड क्वार्टर, कर भवन, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.09.2019
आदेश की दिनांक : 07.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार की जाकर 190 कर सहायक से कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है, उनसे पूर्व अपीलार्थी को वरियता का लाभ दिया जावे और अपीलार्थी को केवल 45 पद पदोन्नति हेतु उपलब्ध होने के आधार पर वरिष्ठता सूची में 177 के पश्चात् वरियता का लाभ दिया जावे और वरिष्ठता सूची दिनांक 28.06.2018 को संशोधित किए जाने के निर्देश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के तहत कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वर्ष 2017 में हुई। अपीलार्थी ने दिनांक 03.10.2017 को कार्यग्रहण किया, जिसमें अपीलार्थी की मेरिट क्रमांक 441 है। वर्ष 2011 में कर सहायक से कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति का

प्रावधान किया गया। राजस्थान कॉमर्शियल टैक्स अधीनस्थ सेवा नियम, 1975 के अनुसार कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती एवं कर सहायक से पदोन्नति के आधार पर पद भरे जाते हैं। नियमों के आधार पर 12.50 प्रतिशत कर सेवकों को कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी जाती है और उक्त पदोन्नति हेतु सात वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। वाणिज्य कर अधिकारी का कैडर स्ट्रेन्थ (स्वीकृत पद) 529 थे। इस प्रकार कर सहायक से कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु 529 स्वीकृत पदों के अनुसार 66 पद पदोन्नति के लिए सुरक्षित थे। बाकी पदों की भर्ती नियमानुसार प्रत्येक वर्ष में भरे जाने का प्रावधान था। वर्ष 2017 में नियमों में संशोधन करते हुए 62.50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और उसमें से 12.50 प्रतिशत मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए सुरक्षित थे और शेष 37.20 प्रतिशत कर सहायक से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान किया गया, जिसमें अनुभव को सात वर्ष से घटाकर पांच वर्ष किया गया। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त सूचना के अनुसार कनिष्ठ वाणिज्य कर सहायक अधिकारी की रिक्तियों की वर्षवार सूचना दी गई जो निम्न प्रकार है :–

दिनांक	सीधी भर्ती से भरे गए रिक्त पदों की संख्या
01.04.2012	133
01.04.2013	25
01.04.2014	0
01.04.2015	0
01.04.2016	117

विभाग द्वारा यह नहीं दर्शाया गया कि जो वर्षवार सीधी भर्ती की रिक्तियां दर्शायी गई हैं, वह किस आधार पर हैं। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सीधी भर्ती के पदों को नियमानुसार भरा जाता तो वर्ष 2016 तक अधिकतम 66 पद ही कर सहायक से कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति के थे और यदि रिक्त पदों के हिसाब से पदों की गणना की जाती तो केवल मात्र 45 पद ही पदोन्नति के लिए शेष थे। विभाग द्वारा यह भी सूचना नहीं दी गई कि पदोन्नति के लिए कितनी रिक्तियां उपलब्ध थी। नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रेल को पुराने नियम जो दिनांक 12.01.2017 तक प्रभावी रहे, के आधार पर पदोन्नति के लिए निम्न रिक्तियां उपलब्ध हो सकती थी :–

दिनांक	कुल रिक्तियां	सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां	पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां
01.04.2011	38	33	5
01.04.2012	152	133	19
01.04.2013	29	25	4
01.04.2014	0	0	0
01.04.2015	0	0	0
01.04.2016	134	117	17

वर्ष 2017 तक कोई भी कर सहायक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं था क्योंकि कर सहायक पद का 7 वर्ष का अनुभव नहीं हुआ था। इस कारण सीधी भर्ती द्वारा उक्त पद भरे जाने चाहिए थे, परंतु विभाग ने उक्त कार्यवाही नहीं की जिससे अपीलार्थी जैसे कर्मचारियों को हानि हुई। दिनांक 21.02.2018 को विभाग द्वारा कर सहायक से कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वर्ष 2017–18 के लिए डीपीसी आयोजित कर लगभग 190 कर सहायकों कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। उक्त कार्यवाही 529 पदों का कैडर मानते हुए उसमें 37.50 प्रतिशत के हिसाब से पदोन्नति की गई, जो अनुचित व अवैध थी, यदि नियमानुसार सही अनुपात में भर्ती की जाती तो 45 कर्मचारी ही पदोन्नत होते अधिकतर 66 कर्मचारियों को ही पदोन्नति दी जा सकती थी लेकिन विभाग द्वारा 190 कर्मचारियों को दिनांक 21.02.2018 के द्वारा पदोन्नति दे दी गई। वरिष्ठता सूची में उनके नाम क्रम संख्या 137 से 328 तक अंकित हैं और यदि नियमानुसार 45 पद ही पदोन्नति से भरे जाते तो उनके नाम क्रम संख्या 177 तक अंकित होते और यदि 66 पद भरे जाते तो उनके नाम वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 203 तक ही अंकित होते, जिससे अपीलार्थी की वरिष्ठता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर 190 कर सहायक से कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है, उनसे पूर्व अपीलार्थी को वरियता का लाभ दिया जावे और अपीलार्थी को केवल 45 पद पदोन्नति हेतु उपलब्ध होने के आधार पर वरिष्ठता सूची में 177 के पश्चात् वरियता का लाभ दिया जावे और वरिष्ठता सूची दिनांक 28.06.2018 को संशोधित किए जाने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि राजस्थान वाणिज्य कर अधीनस्थ सेवा संशोधन नियम, 2017 में संशोधन किया गया है, जिसमें कर सहायक के पद का 7

वर्ष का अनुभव के आधार पर कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति किए जाने का प्रावधान किया गया है और बाद में 7 वर्ष के अनुभव को घटाकर 5 वर्ष का अनुभव किया गया है तथा कुल रिक्त पद के 37.50 प्रतिशत पद कर सहायक से पदोन्नत कर कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए जाने का प्रावधान किया गया। उनका कथन है कि जिन 190 कर सहायकों को डीपीसी वर्ष 2017–18 के तहत कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, जो नियम एवं प्रावधानों के अनुरूप थी। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील बलहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान् अधिवक्ता की ओर से अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि कुल कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद 528 थे और 37.50 प्रतिशत के आधार पर 198 पदों पर कर सहायक से कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति प्रदान की गई। उनका कथन है कि वर्ष 2011 से पहले कर सहायक से कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं था। अधिसूचना दिनांक 13.01.2017 के द्वारा कर सहायक से कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति का प्रावधान किया गया। वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा कोई पदोन्नति नहीं की गई। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील निराधार होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि आर.ए.एस. 2018 के नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट है कि दिनांक 01.04.2016 एवं 01.04.2017 को सीधी भर्ती के लिए 117+1 (118) पदों की अभिशंषा विभाग द्वारा सरकार को सीधी भर्ती से भरे जाने के लिए भेजी गई। इस प्रकार उक्त 118 पद सीधी भर्ती के अधीन थे, परंतु तथ्यों के आधार पर विभाग में दिनांक 01.04.2017 को कुल 234+133+118 (485) पद या तो पहले से उपलब्ध थे या भर्ती प्रक्रिया के अधीन थे। कुल स्ट्रेंथ 529 के अनुसार दिनांक 01.04.2017 को 44 से अधिक पद पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं थे। इससे स्पष्ट होता है कि डीपीसी द्वारा पदोन्नति के लिए निर्धारित 198 पदों की गणना अवैध थी, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब में 198 पदोन्नत पदों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वर्ष 2017 में हुई। अपीलार्थी की मेरिट क्रमांक 441 है। वर्ष 2011 में कर सहायक से कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति का प्रावधान किया गया, जिसमें कर सहायक के पद का 7 वर्ष का अनुभव अनिवार्य किया गया एवं कुल रिक्त पदों के 12.50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान किया गया। वाणिज्य कर अधिकारी का कैडर स्ट्रेन्थ (स्वीकृत पद) 529 थे। वर्ष 2017 में नियमों में पुनः संशोधन करते हुए 62.50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और उसमें से 12.50 प्रतिशत मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए सुरक्षित थे और शेष 37.20 प्रतिशत कर सहायक से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान किया गया, जिसमें अनुभव को सात वर्ष से घटाकर पांच वर्ष किया गया। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रेल को पुराने नियम जो दिनांक 12.01.2017 तक प्रभावी रहे, के आधार पर पदोन्नति के लिए निम्न रिक्तियां उपलब्ध हो सकती थी :–

दिनांक	सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां	पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां
01.04.2012	133	–
01.04.2013	25	4
01.04.2014	0	0
01.04.2015	0	0
01.04.2016	117	17
01.04.2017	1	198

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2013 से वर्ष 2016 तक पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले मात्र 21 पद ही दर्शाए हैं और सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद वर्ष 2012 में 133 पद दर्शाए गए, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा वर्ष 2013 के तहत अनुलग्नक–1 के द्वारा 133 पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा गया, जिसमें अपीलार्थी का भी वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर चयन किया गया। वरिष्ठता सूची दिनांक 27.04.2017 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2017 में 234 कार्मिक कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। उक्त तालिका में अंकित दिनांक 01.04.2016 एवं 01.04.2017 में 117+1 (118) पद विभाग द्वारा सीधी भर्ती के लिए राज्य सरकार को भेजे गए हैं। इस प्रकार हमारे मत में

234+133+118 = 485 कुल पद होते हैं और यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले कुल 44 पदों को जोडा जाए तो कुल 529 पद होते हैं और विभाग में उक्त पदों की कैडर स्ट्रेंथ भी 529 है। जहां तक वर्ष 2016–17 में 117+1 सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में उक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए राज्य सरकार को सूचना भेजी जाने के बाद उक्त पदों को पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जा सकता। लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 21.02.2018 को डीपीसी आयोजित कर रिक्ति वर्ष 2017–18 के विरूद्ध आदेश दिनांक 21.02.2018 के द्वारा 190 कर्मचारियों को कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई, इस प्रकार कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारियों की कुल पद संख्या 234+133+118+190 = 675 होती है। जबकि विभाग में कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के कुल पदों की स्ट्रेंथ 529 है। स्वीकार रूप से मात्र 44 पद ही कर सहायक से कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए उपलब्ध थे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 190 पदों पर दी गई पदोन्नति राजस्थान सेवा नियमों के विपरीत एवं विधि के विरूद्ध परिलक्षित होती है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी की वरिष्ठता उक्त आदेश द्वारा पदोन्नत हुए 44 कार्मिकों के पश्चात् निर्धारित की जानी चाहिए थी। अधिक पदों पर पदोन्नति करने से अपीलार्थी की वरिष्ठता पर विपरीत प्रभाव पड़ना प्रकट होता है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि 44 पद के बजाय 190 कार्मिकों को बिना पद रिक्त हुए पदोन्नति प्रदान की गई है, जिससे अपीलार्थी की वरिष्ठता क्रमांक पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण वरिष्ठता सूची दिनांक 28.06.2018 को उपरोक्तानुसार संशोधित करते हुए अपीलार्थी की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए उसे वरिष्ठता सूची में उचित वरिष्ठता प्रदान की जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)